



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
नामांतरण शुद्धि-पत्र

Duplicate-copy CRSLP9128266

6/20/2023



जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अचल का नाम	धनबाद	हल्का	हलका-01		
इस्ट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	9	पृष्ठ संख्या वर्तमान	93	थाना न.	4		
क्रमिक संख्या	केस न. 99	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न	धना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधुत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या वर्तमान	करोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	लागान	रजिस्टर 2 अहलन तिथि अभयुक्ति
28266	/R27 2023 - 2024	पाण्डरपाला/ 4	झरिया	11/06/2023	By Sale Registration Deed 1694 Dated 29/03/2023	125 9 56	125 1099 4.12 डिसमील	5	

क्रेता का नाम :
(मो० मुरस्ताक मंसूरी पिता-स्व० सलीम मियाँ, जाति-----, पता-
सरकारी विधालय के पास बांसजोरा बाजार बांसजोड़ा धनबाद)

जमाबंदी रैयत का नाम :
अब्दुल मजान अंसारी -पिता- स्व० अब्दुल रहमान अंसारी

विक्रेता का नाम :
अब्दुल मजान अंसारी, पिता- स्व० अब्दुल रहमान अंसारी,
जाति-----, पता-मोहम्मद अली रोड बाई पास सिटी स्कूल के
सामने सिटी कॉलोनी बिशुनपुर धनबाद

राजस्व कर्मचारी हलका-01 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित।
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid
Digitally signed by
PRASANT KUMAR LAYAK
अचलाधिकारी धनबाद

कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान।

Duplicate Copy
20-Jun-2023

आदेश

तिथि
Jun 11 2023

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा पाण्डरपाला थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
125	1099	0 एकड़, 4.12 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
अब्दुल मन्नान अंसारी	पिता	स्व० अब्दुल रहमान अंसारी

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 1694 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदरियत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
अब्दुल मन्नान अंसारी	पिता	स्व० अब्दुल रहमान अंसारी

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान 5रुपये
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण
किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
PRASANT KUMAR LAYAK
अंचलाधिकारी धनबाद